



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2008/आषाढ़ 30, 1930

No. 13]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2008/ASADHA 30, 1930

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2008

New Delhi, the 21st July, 2008

कानूनि.आ. 18(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 40 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

S.R.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 40 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश, 2008 है।

1. (1) This Order may be called the Armed Forces Tribunal Act (Removal of Difficulties) Order, 2008.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (क) में, अंत में आने वाले "और" शब्द के स्थान पर "या" शब्द रखा जाएगा।

2. In the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), in Section 6, in sub-section (3), in clause (a), for the word "and" occurring at the end, the word "or" shall be substituted.

[फा. सं. 7(3)/2008-डी (एफटी सेल)]

[F. No. 7(3)/2008-D (AFT Cell)]

अजय तिकी, संयुक्त सचिव

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.